मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः22.12.2025

थाना मड़िहान पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक वांछित गो-तस्कर घायल/गिरफ्तार, मौके से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद —

'सोमेन बर्मा' वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

ज्ञातव्य हो कि दिनांकः20.12.2025 को थाना मड़िहान पुलिस द्वारा पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक बांध कर वध हेतु ले जाए जा रहे 10 राशि गोवंशों को बरामद किया गया था बरामदगी के दौरान गो-तस्करों द्वारा वाहन से पुलिस को जान मारने की नीयत से कुचलने का प्रयास किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-329/2025 धारा 109 बीएनएस, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर फरार/वांछित गो-तस्करों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि आज दिनांकः22.12.2025 को थाना मड़िहान पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि वांछित गो-तस्कर जुड़िया जंगल में मौजूद है। सूचना पर थाना मड़िहान पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर दबिश दी गयी तो गो-तस्करों द्वारा पुलिस से स्वयं को घिरता देख कर पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग कर मौके से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ सीमित जवाबी कार्यवाही की गयी, जिसमें एक गो-तस्कर संजय भारती पुत्र स्व0रामवृक्ष भारती निवासी जमालपुर थाना जमालपुर जपनद मीरजापुर के बांए पैर में गोली लगी। जिसे पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है जबकि एक गो तस्कर भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा, मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। शेष फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमे प्रयासरत् है, थाना मड़िहान पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त —

संजय भारती पुत्र स्व0रामवृक्ष भारती निवासी जमालपुर थाना जमालपुर जपनद मीरजापुर, उम्र करीब-45 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस।

03 मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास —

1.मु0अ0सं0-207/2021 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना लालगंज, मीरजापुर।

2.मु0अ0सं0-298/2021 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना लालगंज, मीरजापुर।

3.मु0अ0सं0-953/2016 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम, थाना अदलहाट, मीरजापुर।

4.मु0अ0सं0-943/2016 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना जमालपुर, मीरजापुर।

5.मु0अ0सं0-944/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जमालपुर, मीरजापुर।

6.मु0अ0सं0-945/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना जमालपुर, मीरजापुर।

7.मु0अ0सं0-216/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जमालपुर, मीरजापुर।

8.मु0अ0सं0-64/2016 धारा 3/5A/8 गौ हत्या नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना पड़री, मीरजापुर।

9.मु0अ0सं0-296/2016 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना पड़री, मीरजापुर।

10.मु0अ0सं0-254/2020 धारा 307,420 भादवि, 3/5A/8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रूरता अधि0, थाना चकिया, चन्दौली।

11.मु0अ0सं0-152/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना चकिया, चन्दौली।

12.मु0अ0सं0-256/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना चकिया, चन्दौली।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक-बालमुकुन्द मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक मड़िहान, मीरजापुर मय टीम।

उप-निरीक्षक अमरनाथ यादव चौकी प्रभारी पटेहरा, थाना मड़िहान मय टीम।

****